संख्याः / ७ –दो(5)/XXXVI(2)–2017–01–दो(5)/17

प्रेषक,

आलोक कुमार वर्मा,
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सदस्य सचिव,
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
नैनीताल।

न्याय अनुभाग–2

देहरादून : दिनांक ५ जनवरी, 2018

विषय : वित्तीय वर्ष 2017–18 के प्रथम अनुपूरक अनुदान में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के उपयोगार्थ धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 1–दो(5)/XXXVI(2)/2017, दिनांक 03.04.2017 एवं संख्याः 3–दो(5)/XXXVI(2)/17–01–दो(5)/17, दिनांक 07.07.2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्रथम अनुपूरक अनुदान के माध्यम से प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण हेतु ₹ 5,00,000/– (रूपये पाँच लाख मात्र) एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हेतु ₹ 80,00,000/– (रूपये अस्सी लाख मात्र), इस प्रकार **कुल ₹ 85,00,000/– (रूपये पिचासी लाख मात्र)** की धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) कृपयाँ पूर्व माह के व्यय की सूचना व्यय विवरण प्रपत्र बी0एम0–8 पर अंकित कर प्रतिमाह विलम्बतम 10 तारीख तक शासन में उपलब्ध करायी जाय।

(2) कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाय और न हीं पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाय।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यावर्तन अन्य मदों में न किया जाय।

(4) व्यय करते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियामवली, 2008, वित्तीय नियम संग्रह, वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम, आय–व्यय सम्बन्धी नियम, बजट मैनुअल व सुसंगत नियमों एवं शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(5) वित्तीय वर्ष 2017–18 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने सम्बन्धी वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 610/3(150)/XXVII(1)/2017, दिनांक 30.06.2017 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(6) पूर्व निर्गत शासनादेश दिनांक 03.04.2017 एवं दिनांक 04.07.2017 का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय संलग्न एलॉटमेन्ट आई0डी0 संख्याः S1801040089 एवं S1801040090, दिनांक 05 जनवरी, 2018 के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 के

..2/-....

आय–व्ययक के **अनुदान सं0–04** के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2014–न्याय प्रशासन के अधीन सम्बन्धित लेखाशीर्षकों के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(आलोक कुमार वर्मा)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 10 (1)/ XXXVI(2)–2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. समस्त जिला न्यायाधीश, उत्तराखण्ड।
3. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस आशय से पेषित कि न्याय विभाग की वेबसाईट में उक्त जी0ओ0 को सम्मिलित करने का कष्ट करें।
5. वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
6. गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार वर्मा)
प्रमुख सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20172018

Secretary, Law (S029)

आवंटन पत्र संख्या - ----------

अनुदान संख्या - 004

अलोटमेंट आई डी - S1801040089

आवंटन पत्र दिनांक -05-Jan-2018

HOD Name - Member Secretary State Legal Service Authority (4006)

1: लेखा शीर्षक 2014 - न्याय प्रशासन 00 -

800 - अन्य व्यय

05 - राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

00 - राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
01 - वेतन	6000000	0	6000000
02 - मजदूरी	110000	0	110000
03 - महंगाई भत्ता	7000000	0	7000000
04 - यात्रा व्यय	430000	0	430000
05 - स्थानान्तरण यात्रा व्यय	300000	0	300000
06 - अन्य भत्ते	1500000	500000	2000000
07 - मानदेय	40000	0	40000
08 - कार्यालय व्यय	350000	0	350000
09 - विद्युत देय	35000	0	35000
10 - जलकर / जल प्रभार	45000	0	45000
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छ	100000	0	100000
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	80000	0	80000
13 - टेलीफोन पर व्यय	350000	0	350000
15 - गाडियों का अनुरक्षण और पेट्र	700000	0	700000
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवा	700000	0	700000
17 - किराया, उपशुल्क और कर-स्व	50000	0	50000
18 - प्रकाशन	40000	0	40000
19 - विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन	50000	0	50000
22 - आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता आ	50000	0	50000
25 - लघ निर्माण कार्य	50000	0	50000
27 - चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	100000	0	100000
29 - अनुरक्षण	50000	0	50000
42 - अन्य व्यय	60000	0	60000
44 - प्रशिक्षण व्यय	30000	0	30000
45 - अवकाश यात्रा व्यय	70000	0	70000
46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर	80000	0	80000
47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी	50000	0	50000
	18420000	**500000**	**18920000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 500000

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20172018

Secretary, Law (S029)

आवंटन पत्र संख्या - ----------

अनुदान संख्या - 004

अलोटमेंट आई डी - S1801040090

आवंटन पत्र दिनांक 05-Jan-2018

HOD Name - Member Secretary State Legal Service Authority (4006)

1: लेखा शीर्षक 2014 - न्याय प्रशासन 00 -

800 - अन्य व्यय

06 - जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

00 - जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (0-5 से स्थानान्तरित)

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
01 - वेतन	12000000	5500000	17500000
02 - मजदूरी	50000	0	50000
03 - महंगाई भत्ता	13000000	0	13000000
04 - यात्रा व्यय	200000	0	200000
05 - स्थानान्तरण यात्रा व्यय	400000	0	400000
06 - अन्य भत्ते	2000000	2500000	4500000
07 - मानदेय	190000	0	190000
08 - कार्यालय व्यय	250000	0	250000
09 - विद्युत देय	200000	0	200000
10 - जलकर / जल प्रभार	50000	0	50000
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छ	100000	0	100000
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	70000	0	70000
13 - टेलीफोन पर व्यय	420000	0	420000
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्र	1000000	0	1000000
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवा	4500000	0	4500000
17 - किराया, उपशल्क और कर-स्व	100000	0	100000
18 - प्रकाशन	20000	0	20000
19 - विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन	10000	0	10000
22 - आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता आ	40000	0	40000
27 - चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	200000	0	200000
29 - अनुरक्षण	100000	0	100000
42 - अन्य व्यय	200000	0	200000
44 - प्रशिक्षण व्यय	20000	0	20000
45 - अवकाश यात्रा व्यय	50000	0	50000
46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर	50000	0	50000
47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी	50000	0	50000
	35270000	**8000000**	**43270000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 8000000